सं. 13016/9/2014-सीए-III

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली,

दिनांक 26 दिसंबर, 2014

<u>आदेश</u>

विषय :- कोयला खानों / ब्लॉकों के आबंटन/नीलामी के लिए न्यूनतम एवं आरक्षित मूल्य निर्धारित करने की पद्धति

कोयला खान (विशेष उपबंध) नियमावली, 2014 के नियम 8 (3) तथा कोयला खान (विशेष उपबंध) अध्यादेश, 2014 की धारा 8 (5) के प्रावधानों के अनुसार सरकार कोयला खानों/ब्लॉकों के आबंटन/नीलामी के लिए न्यूनतम एवं आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के तौर-तरीके का अनुमोदन करती है जिसका उल्लेख नीचे किया गया है।

<u>न्यूनतम मूल्य/ आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के तौर-तरीके :</u>

1. इस्पात, स्पांज लौह, सीमेंट, कैप्टिव विद्युत आदि जैसे क्षेत्र की नीलामी के लिए न्यूनतम मूल्य के निर्धारण हेतु:-

डिस्काउण्टेड कैश फ्लो (डीसीएफ) तरीके के आधार पर कोयला ब्लॉक के तात्विक मूल्य की गणना इसके शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के परिकलन द्वारा की जाएगी। इस तात्विक मूल्य के 10% का अपफ्रण्ट भुगतान बोली दस्तावेज में यथा निर्धारित 5%, 2.5% तथा 2.5% की 3 किश्तों में किया जाएगा। अंतिम एनपीवी (बोलीदाता के लिए प्राप्त प्रांरभिक अपफ्रण्ट भुगतान को घटाने के पश्चात) को रूपये/टन (अर्थात न्यूनतम मूल्य) के मामले में यूनिट अनुपात के समान होने के लिए वार्षिकी किया जाएगा। तात्विक मूल्य की गणना के लिए इस मामले में यह प्रस्ताव किया जाता है कि एनपीवी की गणना हेतु तदनुरूपी जीसीवी बैण्ड के लिए गैर-विनियमित क्षेत्रकों के लिए सीआईएल के मौजूदा अधिसूचित मूल्य (घरेलू कोयले का मूल्य) को ध्यान में रखा जाएगा। तथापि, न्यूनतम मूल्य 150 / प्रति टन से कम नहीं होना चाहिए । परिणामी बोली मूल्य (रूपये/टन) को डब्ल्यूपीआई से जुड़ी वार्षिक वृद्धि सहित बोली लगाने के वर्ष हेतु आधार के रूप में माना जाएगा। कोयले के लिए देय सांविधिक रॉयल्टी का भुगतान वर्तमान नियमों के अनुसार शासित किया जाएगा ।

2. टैरिफ आधारित बोली (केस-2) पर भविष्य में स्थापित को जाने वाली विद्युत परियोजनाओं के लिए आबंटित की जाने वाली कोयला खानों / ब्लॉकों के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण तथा

3. विशिष्ट अन्त्य उपयोग के लिए सरकारी कंपनियों को आबंटित की जाने वाली कोयला खानों/ब्लॉकों के लिए आरक्षित मूल्य का निर्धारण करने हेतु:

सफल आबंटिती द्वारा किए गए वास्तविक उत्पादन के अनुसार, कोयले के 100/- रू. प्रतिटन निर्धारित आरक्षित मूल्य का भुगतान करना होगा। कोयले पर दी जाने वाली सांविधिक रायल्टी विद्यमान नियमों के अनुसार शासित होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि विद्युत दरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सफल आबंटिती को अपफ्रण्ट भुगतान करना होगा जैसाकि बोली दस्तावेज में निर्धारित होगा। इन दोनों वर्गों में कोयले पर कोई बोली नहीं लगाई जाती है। केस-1 बोली लगाने हेतु माडल मानक बोली दस्तावेज में दिए गए पूर्व-निर्धारित फार्मूले का प्रयोग करते हुए 'आरक्षित मूल्य'में वृद्धि की जा सकती है जैसा कि विद्युत मंत्रालय द्वारा केप्टिव खानों से ईंधन लागत में वृद्धि हेतु किया गया है। तथापि, टैरिफ बोली आधारित पीपीए (केस-2) के माध्यम से संविदागत विद्यमान उत्पादन क्षमता के लिए ईंधन का प्रबंध करना विद्युत क्रेता का उत्तरदायित्व है। ऐसी केस-2 परियोजनाएं कोयला ब्लॉकों के लिए नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगी।

4. लागत जमा पीपीए वाली उत्पादन क्षमताओं अथवा टैरिफ आधारित पीपीए वाली उत्पादन क्षमता (केस-1)/लागत जमा पीपीए के माध्यम से संविदागत उत्पादन क्षमता के लिए अथवा टैरिफ आधारित पीपीए (केस-1) के माध्यम से नीलामी की जाने वाली कोयला खानों/ब्लॉकों के लिए अधिकतम मूल्य का निर्धारण करने हेतु:

क. प्रत्येक कोयला ब्लॉक के लिए सीआईएल अधिसूचित मूल्य का अधिकतम मूल्यनिश्चित किया जाएगा तथा बोलीदाता को इस अधिकतम मूल्य से कम कोट करने को कहा जाएगा। अधिकतम मूल्य समतुल्य ग्रेड के रन-ऑफ-माइन (आरओएम) मूल्य पर निर्धारित किया जाएगा जैसाकि विद्युत क्षेत्र के लिए सीआईएल द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। न्यूनतम बोली लगाने वाला बोलीदाता सफल बोलीदाता होगा। इसे कोयला ब्लॉक से संयंत्र तक अंतरण मूल्य के लिए लिया जाएगा क्योंकि यह उत्पादन क्षमता दर्शा सकता है। कोयले के परिणामी मूल्य में वृद्धि की जा सकेगी जो कि ऊर्जा प्रभार पर विचार करने हेतु पूर्व-निर्दिष्ट वृद्धि फार्मूला के अनुरूप है। इस तरीके से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि न्यूनतम बोली मूल्य का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंच सकेगा।

ख. कोयले के बोली मूल्य को बोली लगाने वाले वर्ष के लिए आधार माना जाएगा तथा केस-1 बोली लगाने हेतु माडल मानक बोली दस्तावेज में दिए गए पूर्व-निर्धारित फार्मूले का प्रयोग करते हुए 'आरक्षित मूल्य' में वृद्धि की जा सकती है जैसा कि विद्युत मंत्रालय द्वारा केप्टिव खानों से ईंधन लागत में वृद्धि हेतु किया गया है।

ग. सफल आबंटिती द्वारा किए गए वास्तविक उत्पादन के अनुसार, कोयले का 100/- रू. प्रतिटन निर्धारित आरक्षित मूल्य का भुगतान करना होगा। कोयले पर दी जाने वाली सांविधिक रायल्टी विद्यमान नियमों के अनुसार शासित होगी। इसी प्रकार उपरोक्त

पैरा 'ख' में दिए गए फार्मूले का प्रयोग करते हुए आरक्षित मूल्य में भी वृद्धि हो सकती है।

घ. सफल आबंटिती को कोयला ब्लॉक के वास्तविक मूल्य के 10% की दर से 5%, 2.5% तथा 2.5% की तीन किश्तों में अपफ्रण्ट भुगतान करनाहोगाजैसाकिबोली दस्तावेज में निर्धारित होगा।

ङ. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोयले का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे, निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की जा सकती है:

I. लागत जमा पीपीए सहित उत्पादन क्षमता अथवा भविष्य में लागत जमा पीपीए के माध्यम से संविदा की जाने वाली उत्पादन क्षमता हेतु - लागत जमा पीपीए हेतु ईंधन लागत का निर्धारण करने के उद्देश्य से, उपयुक्त आयोग अन्य अनुमेय व्यय एवं लेवी सहित कोयले की रन-ऑफ-माइन (आरओएम) लागत के समतुल्य होने के नाते कोयले के मूल्य की बोली लगाने की अनुमति देगा बशर्ते कि यह विद्यमान पीपीए की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार प्राप्त होने वाली प्रभार की तुलना में पीपीए की पूरी अवधि में ऊर्जा प्रभार अधिक नहीं होगा।

II. टैरिफ बोली आधारित पीपीए (केस-1) के माध्यम से संविदागत उत्पादन क्षमता हेतु - उपयुक्त आयोग सांविधिक शुल्क तथा ऊर्जा प्रभार के अन्य अनुमेय घटकों सहित कोयले का रन-ऑफ-माइन (आरओएम) के समतुल्य होने के नाते कोयले के वास्तविक बोली मूल्य को देखते हुए कोट किए गए ऊर्जा प्रभार की समीक्षा करेगा बशर्ते कि ऐसे संशोधन से पीपीए की पूरी अवधि के दौरान उच्च ऊर्जा नहीं होगी जो कि अन्यथा विद्यमान पीपीए की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार प्राप्त हुई होती। इस उद्देश्य से, नए प्रावधानों के अंतर्गत कोयला ब्लॉकों के आबंटन को 'कानून में परिवर्तन' के रूप में समझा जाएगा जिससे कि उपयुक्त आयोग पीपीए के प्रावधानों के अनुसरण में टैरिफ में संशोधन कर सके।

III. भविष्य में टैरिफ बोली आधारित पीपीए (केस-1) के माध्यम से संविदा की जाने वाली उत्पादन क्षमता हेतु - विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के अंतर्गत टैरिफ अपनाते समय समुचित आयोग इस बात का सुनिश्चय करेगा कि ऊर्जा प्रभार कोयले के उस वास्तविक बोली मूल्य पर आधारित है जो ऊर्जा प्रभार की सांविधिक लेवियों और अन्य अनुमत्य घटकों सहित कोयले की खान संचालन (आरओएम) लागत के बराबर हो।

IV. इस प्रयोजन के लिए विद्युत मंत्रालय टैरिफ नीति में और/अथवा विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन जारी बोली दिशानिर्देशों में समुचित उपबंध बनाएगा।

च. संविदा रहित क्षमता वाले विद्युतसंयंत्रों के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 अथवा धारा 63 के अधीन संविदागत मझौले अथवा दीर्घावधिक पीपीए के बाहर विद्युत की बिक्री के लिए बोलीदाताको अपनी मर्चेण्ट क्षमता आबंटित कोयला ब्लॉक से जुड़ी विद्युत क्षमता के 15% तक सीमित करने का अधिदेश देना होगा। इसके अलावा, बोलीदाता को मर्चेण्ट बाजार में बेची गई बिजली हेतु प्रयोग किए गए कोयले की मात्रा हेतु अतिरिक्त

आरक्षित मूल्य का भुगतान करना होगा। विद्युत की व्यापारी बिक्री के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले का अतिरिक्त आरक्षित मूल्य रू./टन के रूप में वार्षिक उत्पादन की कोयला ब्लॉक की वार्षिकी के तात्विक मूल्य पर आधारित होगा। तात्विक मूल्य इस्पात/स्पांज/लौहा/सीमेंट क्षेत्रों/केप्टिव विद्युत के लिए अनुमोदित मौजूदा प्रणाली पर प्राप्त किया जासकता है। अतिरिक्त आरक्षित मूल्य 150/- रू. प्रति टन से कम नहीं होगा। इसके अलावा, परिणामी अतिरिक्त आरक्षित मूल्य (रू./टन) को डब्ल्यूपीआई से संबद्ध वार्षिक वृद्धि के साथ वर्ष की बोली के आधार के रूप में माना जाएगा।

5. बोली की निर्धारित तारीख के बाद सीआईएल मूल्य में और किसी संशोधन का जिन ब्लॉकों की बोली लग चुकी है उनके बोली मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उस मूल्य में वृद्धि की व्यवस्था इस नोट के पैरा 4.(ख) में पहले ही की जा चुकी है। कोयला ब्लॉकों की भविष्य में बोली लगाने के लिए उस समय के मौजूदा सीआईएल मूल्य पर अधिकतम मूल्य निर्धारण हेतु विचार किया जाएगा।

6. कोयला खान (विशेष उपबंध), अध्यादेश, 2014 की धारा 4(2) में की गई व्यवस्था के अनुसार कोयले की बिक्री के प्रयोजनार्थ कोयला ब्लॉकों की नीलामी / आबंटन हेतु एक अलग प्रणाली तैयार की जाएगी।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एस.के.शाही)
निदेशक
दूरभाष सं. 23382807

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी,
कोयला मंत्रालय

प्रतिलिपि:

टी.डी. (एनआईसी) को इस अनुरोध के साथ कि इसे कोयला मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।